

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

बनाम.....

लखनुराम

राजस्थान का

किरम मुकदमा- अपील अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा..... संख्या..... 53 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/21	<p>परावली पेश डुरी वकील अपीलेंट उपर वहां लेवु सफा चाहा/अतः परावली पूर्व अपीलेंट वार्ति वहां एडमिजि डिनीड 16/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	
16/8/21	<p>परावली पेश डुरी वकील अपीलेंट उपर वहां लेवु सफा चाहा/अंतिम अवार डिमा जाकर परावली पूर्व अपीलेंट वार्ति वहां एडमिजि डिनीड 25/08/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	
25/8/21	<p>परावली पेश डुरी वकील अपीलेंट उपर वहां लेवु सफा चाहा/अपेक्षित में अंतिम अवार डिमा जाकर परावली वार्ति वहां एडमिजि डिनीड 6/09/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	
6/09/21	<p>परावली पेश डुरी वकील अपीलेंट एवं अपीलेंट अउपस्थित। अपीलेंट वकील अपीलेंट को कर कर भावज लाजरी में परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। अंतिम भावज सभ 05.00 बजे जाकर कर। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलेंट अउपस्थित लाजरी भाग परकी में वकील की जाती है। परावली पेश डुरी अवार लेवु नम्बर से काम हो। अपीलेंट न्यायालय को को डिनीड की जति के साथ जैसम जावे। इस न्यायालय की परावली पेश डुरी लेवु का जति लेवु अउपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	

2



न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय

जयपुर

हट्टराम पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी देवरी तह० सिकराय जिला
दौसा

बनाम

राज० सरकार जरिए नायब तहसीलदार जी बैरावडा तह० सिकराय जिला दौसा

द्वितीय अपील विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला क्लेक्टर
दौसा दिनांक 26-2-2016 उनवानी प्रकरण हट्टराम
बनाम राज० सरकार अपील सं० 114/15 ब निर्णय
उप तहसीलदार जी बहरावडा दिनांक 24-8-15 उनवानी
प्रकरण सरकार बनाम हट्टराम मु० न० 1115

मान्यवर महोदय ,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाट ने नायब तहसीलदार बहरावडा
के निर्णय दिनांक 24-8-15 के विरुद्ध एक अपील ए डी एम दौसा के न्यायालय
मे प्रस्तुत की । उक्त अपील का निर्णय ता० 26-2-16को फरमाया गया है
तथा ए डी एम दौसा द्वारा अपील खारिज की गई है । उक्त ए डी एम

श्रीमान् -1

① अपील पूर्व नोटिस प्रकाशित दौसा के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे अपना अधिकारता अपीलाट ने
② शेरशिवजी के डी श्री राकेश जैन एडवोकेट को अपना वकील नियुक्त कर रहा था उक्त वकील को
③ प्रस्तावित अपील मे ही उक्त प्रकरणमे पैरवी हेतु वकील नियुक्त कर रहा था तथा उक्त वकील ने
④ सिमास अनासे शरण थाय-5 सिमास भण्डारिक प्रार्थी अपीलाट को यह आश्वासन दे रहा था कि जब भी आवश्यकता होगी
⑤ केविना न ही तथा प्रकरण का निर्णय होजावेगा तब सूचना देकर बुला लिया जावेगा उक्त

20/1/14

MP/352

